

प्रारूप-54

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 441/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में मझेड़ा-कुमारती-सौरे-नौरड़ मोटर मार्ग का निर्माण।(5.00किमी.)(0.630है०)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उल्लघन नहीं हुआ है।


कजिस्ट्रि अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


वन क्षेत्राधिकारी
मोहान वन क्षेत्र।

प्रमाणित वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन विभाग, अल्मोड़ा


व.क.


रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग